हरीश कुमार – श्रीनारायण आदि अ.नं. 70/16

दिनांक	आज्ञा पत्र	
17.10.24	पत्रावली पेश। वकील उभयपक्ष उप.। वास्ते बहस दिनांक 14.11.24 को पेश हो।	[signature]
14.11.24	पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेस्पो.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज अवकाश पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 21.11.24 को पेश हो।	
21.11.24	पत्रावली पेश। वकील उभयपक्ष उप.। वास्ते बहस दिनांक 5.12.24 को पेश हो [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	
5.12.24	पत्रावली पेश। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 17.12.24 को पेश हो [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	न्यायालय भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन ... सीकर सत्यमेव जयते
17.12.24	पत्रावील पेश। अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 70/2016

1 हरीश कुमार उम्र 47 साल पुत्र सुखदेवाराम जाति जाट निवासी ग्राम चाचीवाद बड़ा तहसील फतहेपुर जिला सीकर।

अपीलांट/प्रार्थी

बनाम

1 जीवण राम पुत्र गोदूराम (मृत रेस्पोडेन्ट)
1/1 चुन्नीलाल उम्र 54 साल पुत्र स्व. जीवणराम
1/2 सुरजी देवी उम्र 52 साल पुत्री स्व. जीवणराम
1/3 ओमप्रकाश उम्र 50 साल पुत्र स्व. जीवणराम समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम चाचीवाद बड़ा तहसील फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर।
2 सुखदेवा राम पुत्र गोदूराम
3 सुखी बेवा रामेश्वर
4 मन्नी पुत्री रामेश्वर
5 राधा पुत्री रामेश्वर समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम चाचीवाद बड़ा तहसील फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर।
6 जवाहर राम पुत्र गोविन्दराम जाति जाट निवासी रसीदपुरा तहसील व जिला सीकर।
7 किशनसिंह पुत्र गोविन्दराम जाति जाट निवासी रसीदपुरा तहसील व जिला सीकर।
8 मोहन पुत्र हरजीजाट निवासी ग्राम चाचीवाद बड़ा तहसील फतेहपुर जिला सीकर।
9 प्रबंधक ग्रामीण बैंक शाखा ग्राम बाटड़ानाउ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
10 पटवारी हल्का ग्राम दातरू तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज.।
11 तहसीलदार एवं उप पंजीयक फतहेपुर जिला सीकर राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

12 जिला कलेक्टर महोदय सीकर।

रेस्पोडेन्ट / प्रतिवादीगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतहेपुर दिनांकित 18.05.2016 प्रकरण उनवानी जीवण बनाम सुखदेव आदि धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मुकदमा संख्या 40 / 2014

उपस्थिति :

1. श्री राजकुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री शिवदयाल यादव, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 17.12.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 40 / 2014 में पारित निर्णय दिनांक 18.05.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी ने एक प्रार्थना पत्र धारा 212 बाबत भूमि खसरा नम्बर 370, 204 / 1, 245 / 1, 271 / 1 वाके ग्राम चाचीवाद बड़ा तहसील फतेहपुर का पेश किया। विचारण

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय में बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से अप्रार्थीगा 1 लगायत 10 व 12 को ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने स्पीकिंग आदेश नहीं किया है केवल मात्र ऑर्डरशीट पर आदेशिका लिख कर आदेश दिनांकित 14.08.2014 को पुष्ट कर दिया जो न्यायसंगत नहीं है। अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन का निस्तारण करते समय कानूनन तीन बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति बनाने होते है तथा तीनों बिन्दुओं पर न्यायालय को अपना निर्णय देना होता है ऐसा नहीं कर विचारण न्यायालय ने एक ही लाईन में इन तीनों बिन्दुओं का निस्तारण कर दिया। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम में यह स्पष्ट प्रावधान है कि यदि कोई हिन्दू जो निर्वसीयति मरा है उस पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होगा तथा उसकी सम्पति उत्तराधिकार में शामिल हो जायेगी किन्तु कोई हिन्दु जो अपनी सम्पति की वसीयत करके मरा है तो उसकी सम्पति का व्ययन वसीयत के अनुसार होगा। स्व. भगवानाराम ने अपने खातेदारी की भूमि का अपना संपूर्ण हिस्से की वसीयत अपीलान्ट के पक्ष में कर दी थी जिसकी प्रति अपीलान्ट ने विचारण न्यायालय में पेश कर दी थी फिर भी आदेश पारित करने में विचारण न्यायालय ने भारी भूल की है। स्व भगवानाराम अपीलान्ट का सगा ताउ लगता है जिसकी सेवा, सुश्रषा अपीलान्ट करता था तथा अपीलान्ट की सेवा से उक्त स्व. भगवानाराम खुश था इसी कम में स्व. भगवानाराम ने अपने हिस्से की वादग्रस्त भूमि में अपने हिस्से के बाबत वसीयत दिनांक 10.07.1998 को निष्पादित की थी जिसका पंजीयन उप पंजीयक सीकर में करवाया गया था जो उप पंजीयक सीकर की पुस्तक संख्या 16 जिल्द संख्या 11 पृष्ट संख्या 37 कम संख्या 49 पर पंजीबद्ध है जिसकी एक अतिरिक्त पुस्तक संख्या 119 जिल्द संख्या 13 के पृष्ठ संख्या 121 से 122 पर एक प्रति चस्पा है। उक्त वसीयत के गवाहान सुखदेवाराम व

पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

गोपालसिंह है। इस प्रकार भगवानाराम की वसीयत पंजीबद्ध वसीयत है। स्व. भगवानाराम की मृत्यु दिनांक 05.06.2014 को ग्राम चाचीवाद बड़ा में होन चुकी है तथा भगवानाराम की मृत्यु हो जाने से अपीलान्ट के पास में भगवानाराम की वसीयत होने से अपीलान्ट भगवानाराम की चल व अचल सम्पति तथा वादग्रस्त सम्पति को अपने नाम करवाने का हकदार हो गया किन्तु विचारण न्यायालय ने आवेदन स्वीकार कर कानून के विरूद्ध कार्य किया है इस कारण आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। भगवानाराम के हिस्से की वादग्रस्त भूमि को अपीलान्ट काश्त करता चला आ रहा है तथा अपीलान्ट का साधिकार कब्जा काश्त है तथा इस चौमासे में भी अपीलान्ट ने ही काश्त की है इस कारण अपीलान्ट वादग्रस्त भूमि में भगवानाराम के हिस्से का काबिज काश्तकार है। फिर भी रेस्पोडेन्ट/वादी का आवेदन स्वीकार कर विचारण न्यायालय ने भारी भूल की है इस कारण आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ पेश की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में डब्ल्यूएलसी 1994(1) पेज 712, आरएलडब्ल्यू 2016 (2) रेव पेज 1239, एआईआर 1989 इलाहबाद पेज 128 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि पक्षकारान के मध्य भगवानाराम की विरासत को लेकर विवाद है। पक्षकारों के मध्य हितो का निर्धारण मूलवाद में साक्ष्य सुनवाई के उपरांत किया जाना शेष है। इससे पूर्व विवादित भूमि की रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखना न्यायोचित है। इसे दृष्टिगत रखते हुए विचारण न्यायालय ने ताफैसला वाद विवादित भूमि की रिकार्ड की यथास्थिति का आदेश पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय में अपीलांट जरिये वकील उपस्थिति रहीं है। इसके उपरांत भी अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है पक्षकारान के मध्य भगवानाराम की विरासत को लेकर विवाद है। पक्षकारों के मध्य हितो का निर्धारण मूलवाद में साक्ष्य सुनवाई के उपरांत किया जाना शेष है। इससे पूर्व विवादित भूमि की रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखना न्यायोचित है। इसे दृष्टिगत रखते हुए विचारण न्यायालय ने ताफैसला वाद विवादित भूमि की रिकार्ड की यथास्थिति का आदेश पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 17.12.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

(बलदेवराम धोलक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर